**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचित किये गये मामलों की संख्या**

| अपराध की किस्म | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|---|---|---|---|---|
| हत्या | 76 | 73 | 65 | 86 |
| आत्महत्या | 175 | 184 | 179 | 202 |
| लड़कियों का अपहरण | 137 | 124 | 142 | 163 |

**अब तक दण्ड दिये गये व्यक्तियों की संख्या**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (ख) | हत्या | 51 | 37 | 23 | 31 |
| | लड़कियों का अपहरण | 32 | 24 | 8 | 7 |

(ग) दिल्ली में, प्रशासन द्वारा विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का नियतकालिक पुनरीक्षण किया जाता है तथा इसे नियन्त्रण में रखने के समय समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं । जांच पड़ताल के लिये उत्तम संचार तथा वैज्ञानिक साधनों से दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण की कई योजनाएं, हाल में स्वीकृत की गई हैं जो कार्यान्वयन की स्थिति में हैं । इससे दिल्ली पुलिस की कार्यकरण-दक्षता में और भी सुधार होगा ।

**दिल्ली परिवहन की बसों में अपराध**

3904. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
**कुमारी कमला कुमारी :**
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
**श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के दिल्ली परिवहन की बसों में अपराध के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 5267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस को भेजे गये 292 मामलों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाह की गई है; और

(ख) नवम्बर तथा दिसम्बर, 1968 में दिल्ली परिवहन की बसों में कितने अपराध हुए और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सूचित किये गये 292 मामलों में से 77 मामलों में चालान किये गये हैं, 21 मामलों की जांच लम्बित पड़ी है, 192 मामलों का पता नहीं लगाया जा सका है तथा 2 मामले रद्द कर दिये गये थे । इन सभी मामलों में 112 व्यक्ति गिरफ़तार किये गये ।

(ख) 1-11-1968 से 31-12-1968 तक की अवधि में दिल्ली पुलिस को 64 मामले सूचित किये गये । इनमें से 20 मामलों में चालान किया गया है, 2 मामलों की जांच लम्बित पड़ी है, 41 मामलों का पता नहीं लगाया जा सका है तथा 1 मामला रद्द कर दिया गया है । इन मामलों में कुल मिला कर 25 व्यक्ति गिरफ़तार किये गये ।

**मंत्रालयों में हिन्दी में कार्य करने के लिये नये कर्मचारी**

3905. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
**कुमारी कमला कुमारी :**
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
**श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयो में हिन्दी के कार्य के लिए कितने नये कर्मचारियों की मंज़ूरी दी गई है और उन पदों के पदनाम क्या हैं जिन पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये नये कर्मचारी भर्ती करने के सम्बन्ध में

विभिन्न मंत्रालयों में कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या** LT–445/69]

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति के लिये निर्धारित अभ्यंश

3906. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
**कुमारी कमला कुमारी :**
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
**श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **गृह–कार्य** मंत्री 13 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 738 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों, 1962 के अन्तर्गत सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति के लिए निर्धारित किये गये अभ्यंशों का व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों और पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की कार्यकुशलता की अलग–अलग जांच करने का है;

(ग) गत पांच वर्षों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये और पदोन्नत किये गये कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने–कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियां उनके लिये निर्धारित अभ्यंशों के अनुसार की जाती हैं ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (घ). एक विवरण सदन के सभा पटेल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या** LT–446/69]

### एयर इंडिया में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

3907. **श्री रा० को० अमीन :**
**श्री व० रा० परमार :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया कारपोरेशन के कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों की वर्तमान संख्या भारत सरकार द्वारा बनाये गये पदों के आरक्षण सम्बन्धी नियमों के अनुसार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों को लागू होने वाले आदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती (डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट) द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का 12½% अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित किया जाना होता है ।

1 जनवरी, 1969 को भारत में कार्य कर रहे कर्मचारियों की (लाइसेंसधारी वर्गों को छोड़ कर) कुल संख्या 6401 थी, जिसमें से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या